भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3612

(शुक्रवार, 16 मार्च, 2018/25 फाल्गुन, 1939 (शक) को दिया गया)

सांसदों के निर्वाचन क्षेत्रों में सीएसआर का कार्यान्वयन

3612. श्री पी॰ के॰ कुनहलिकुट्टीः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने कंपनियों को संबंधित जन प्रतिनिधि के साथ गंठजोड़ करके ग्राम स्तर पर कंपनियों के वित्तपोषण करने और इस खर्च को अनिवार्य कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत डालकर योजनाओं को वित्त पोषित करने की अनुमति दी है;
(ख) क्या कंपनियां गोद लिए गए गांवों में योजना को वित्त पोषित करने हेतु जन प्रतिनिधि के साथ गठजोड़ कर सकती हैं और सीएसआर नियमों के कई शीर्षों के अंतर्गत खर्च का दावा किया जा सकता है जिसमें ईडब्ल्यूएस आवासन का निर्माण, शिक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य और गरीबी का उन्मूलन शामिल हैं; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी)

(क) से (ग): जी, नहीं। तथापि कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 135 के अनुसार विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक कारोबार या निवल मूल्य या निवल लाभ वाली प्रत्येक कंपनी द्वारा तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कमाए गए निवल लाभ का न्यूनतम औसत दो प्रतिशत अधिनियम की अनुसूची-VII में विनिर्दिष्ट कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) कार्यकलापों पर व्यय करना अनिवार्य है। अधिनियम की अनुसूची-VII में उन कार्यकलापों की सूची दी गई है जो कंपनियों द्वारा उनकी सीएसआर नीतियों के अंतर्गत किए जा सकते हैं।

*****